न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 12/2022 G.C.M.S. No. 2022/396 दर्ज दिनांक : 12.12.2022

अपीलार्थिगण:

वक्ताराम पुत्र सांकलाराम, जाति रेबारी, निवासी रेबारीवास, अमथला, तहसील आबूरोड़ जिला सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. बाबू सिंह पुत्र श्री मेघ सिंह, जाति राव, निवासी कारोली, तहसील आबूरोड़ जिला सिरोही
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार देलदर जिला सिरोही

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 03/2022 बअनवान वक्ताराम बनाम बाबुसिंह में पारित आदेश दिनांक 21.10.2022

पैरोकार:–

1. श्री राजेन्द्र सिंह आढा, विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स।
2. श्री मदन सिंह राव, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट

निर्णय

दिनांक: 27.03.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 03/2022 बअनवान वक्ताराम बनाम बाबू सिंह में पारित आदेश दिनांक 21.10.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई, प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

अपीलांट की खातेदारी व कब्जेकाश्त की खसरा संख्या 801/1, 801/2, 803, 813 कुल क्षेत्रफल 1.4668 हेक्टेयर कृषि भूमि गांव आमथला तहसील देलदर में आई हुई है। उक्त कृषि भूमि में आने जाने व कृषि यंत्र लाने ले जाने तथा रास्ते के रूप में स्थाई रूप रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के खसरा संख्या 804 व 805 की कृषि भूमि में से नियमानुसार 30 फुट चौड़ा रास्ता उपलब्ध करवाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर रेस्पोडेन्ट की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया। जो दिनांक 06.06.2022 को खारिज किया। तहसीलदार देलदर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट व जवाब को शामिल मिसल किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार देलदर व आर आई हल्का आबूपर्वत द्वारा मोका निरीक्षकर कर अपीलांट की खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु रेस्पोडेन्ट के खसरा संख्या 804 में से 0.0123 हेक्टेयर व खसरा संख्या 805 में से 0.0169 हैक्टेयर अर्थात कुल 0.0292 हैक्टेयर भूमि रास्ता दिये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जो मौका रिपोर्ट पत्रावली में मौजुद है। इसके बावजूद उक्त रिपोर्ट अमल

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

नहीं कर तहसीलदार को कमीश्नर नियुक्त कर गलत रूप से मौका कमीश्नर रिपोर्ट उनके द्वारा दिनाक 11.10.2022 को तैयार की गयी एवं गलत रूप से उन्होने मौका रिपोर्ट के साथ फाईडिग भी दी है। उक्त फाईडिग के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 21.10.2022 को आदेश पारित करने में कानुनन व वाक्यातन गलती की है। अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा अपने जवाब के पद संख्या 03 में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु राजस्व रेकर्ड अनुसार कोई रेकर्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है। अपीलांट प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु एक मात्र रास्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के खातेदारी के खसरा संख्या 804 व 805 में से ही दिया जाना उचित माना है। अपीलांट के खातेदारी में आने जाने हेतु किसी प्रकार का कोई रेकर्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है। अपीलांट की खातेदारी कृषि भूमि में आने जाने हेतु खसरा संख्या 804 व 805 में से ही एक मात्र आने जाने हेतु रास्ता है इस रास्ते के अलावा आने जाने हेतु अन्य कोई विकल्प नहीं है जिसकी ताईद तहसीलदार देलदर द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा व आर आई हल्का आबूपर्वत द्वारा प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 12.05.2022 से होती है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अपास्त फरमावे तथा अपीलांट के प्रार्थना पत्र में वर्णित अनुसार रास्ता दिया जाना सादिर फरमावे।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध अपनी खातेदारी आराजी ग्राम आमथला के खसरा संख्या 801/1, 801/2, 803 व 813 तक पहुच के लिए पहुच मार्ग हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया। जिसे अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.10.2022 द्वारा अस्वीकार किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत की गयी।
2. अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी के आराजी पहुच मार्ग का अभाव नहीं होने अर्थात रास्ता उपलब्ध होने एवं केवल सुविधा के लिए रास्ते की मांग करने के आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज किया गया।
3. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध मौका जांच रिपोर्ट आई. एल. आर आबूपर्वत की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 12.05.2022 अनुसार प्रार्थी की आराजी तक पहुच मार्ग का अभाव है तथा निकटतम दूरी का मार्ग आबूरोड़ सिरोही अप्रार्थी की आराजी 804, 805 में से निकटतम दुरी का मार्ग होना प्रस्तावित किया गया है। तहसीलदार देलदर द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र अनुसार प्रार्थी की आराजी तक पहुच मार्ग उपलब्ध नही होने अप्रार्थी की आराजी खसरा सख्या 804 व 805 में रास्ता दिया जाने की अभिशषा की गयी। अन्तिम रिपोर्ट तहसीलदार देलदर द्वारा दिनांक 26.09.2022 को तैयार की गयी। जिसके अनुसार भी प्रार्थी की

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

आराजी तक पहुच मार्ग का अभाव होने एवं अप्रार्थी की आराजी 804 व 805 में से निकटतम दूरी का विकल्प होना अंकित किया है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के निर्देश पर एक और मौका रिपोर्ट तैयार की गयी। जो तहसीलदार देलदर द्वारा दिनांक 11.10.2022 को तैयार की गयी। उक्त विस्तृत रिपोर्ट व नजरी नक्शा अनुसार प्रार्थी की आराजी खसरा संख्या 801/2 से लगते हुए मार्क ए अनुसार, स्कुल भूमि स्थित है तथा उक्त भूमि में से पहुच मार्ग होना अंकित किया है मार्क बी खसरा संख्या 804 व 805 अप्रार्थी की आराजी में से चाहा गया विकल्प जिसके मध्य से इलेट्रिक लाइन व कमरा निर्मित है। मार्क 'सी' जो कि खसरा संख्या 814 व 815 में से प्रस्तावित किया गया। खसरा संख्या 814 अप्रार्थी की आराजी है जिसमें से रास्ते हेतु अप्रार्थी के द्वारा सहमति जाहिर किया जाना तथा खसरा संख्या 815 गणेश वगेरह की खातेदारी होना अंकित है, इससे लगते हुए यूआईटी द्वारा आवासीय रूपान्तिरित खसरा संख्या 816 है जो कारोली आमथला मार्ग पर स्थित है इस प्रकार स्पष्ट है कि मार्क ए व डी जिसके आधार पर प्रार्थी की आराजी में से पहुच मार्ग होना दर्शाया गया है वह वस्तुत प्रथम तो किसी रास्ते से नही लगता साथ ही उक्त स्थल विद्यालय की भूमि है अतः विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त समस्त तथ्यों एवं पत्रावली पर उपलब्ध विस्तृत मौका रिपोर्ट दिनांक 11.10.2022 का अवलोकन किए बिना अपीलाधीन आदेश द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है जो पुष्टि योग्य नहीं है। चुकि खसरा संख्या 814 जो अप्रार्थी की आराजी है। जो कि पूर्व की तरफ प्रार्थी की आराजी से लगते स्थित है तथा इसके दक्षिण पश्चिम में यूआईटी द्वारा आवासीय रूपान्तिरित खसरा संख्या 816 है। जो रास्ते पर स्थित है एवं खसरा संख्या 814 के खातेदार अप्रार्थी द्वारा रास्ते की सहमति दी गयी है ऐसी स्थिति में ग्राम कारोली आमथला से खसरा संख्या 816 आवासीय रूपान्तिरित भूमि में से ले आउट प्लान में दर्शित रास्ता जो कि सार्वजनिक उपयोग की श्रेणी में आता है को खसरा संख्या 814 में से होते हुए खसरा संख्या 803 की सीमा तक पहुच मार्ग के रूप स्वीकृत किया जा सकता है।

4. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश अपास्त करते हुए प्रकरण पुनः निर्णयन निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती हैं। उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 03/2022 बअनवान वक्ताराम बनाम बाबू सिंह में पारित आदेश दिनांक 21.10.2022 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में खसरा संख्या 816 आवासीय रूपान्तिरित भूमि का लेआउट प्लान प्राप्त कर तहसीलदार देलदर द्वारा तैयार दिनांक 11.10.2022 मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा के आधार पर उपर्युक्त विवेचन को मध्यनजर रखते हुए प्रकरण विधिनुरूप निर्णित करे। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 18.05.

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

2026 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत में असालतन/वकालतन उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली